"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2016—फाल्गुन 7, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री एस. एस. बजाज, (भा.व.से.-1988) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त-सह-सचिव, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

2. श्री हिमांशु गुप्ता, (भा.पु.से.-1994), संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण की सेवाएं गृह विभाग को वापस लौटायी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्रमांक 1112/105/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री गाजेन्द्र कुमार सोनकर को फास्ट ट्रैक कोर्ट, रायपुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट, रायपुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 4-43/2015/30/संस्कृति.—एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग द्वारा जारी विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-11/2015/30/सं., दिनांक 07-11-2005 द्वारा गठित गिरौधपुरी मेला विकास समिति को पुनर्गठित किया गया था में आंशिक संशोधन करता है :—

स. क्र. (1)	पद का नाम (2)	पदाधिकारी का नाम (3)	पता (4)
1.	अध्यक्ष	जगतगुरू गुरूगद्दीनशीन श्री विजय कुमार गुरू	अवन्ति चौक, रायपुर, जिला रायपुर
2.	सदस्य	गुरू रूद्र कुमार उर्फ श्री अजय कुमार गुरू	अवन्ति चौक, रायपुर, जिला रायपुर
3.	सदस्य	राजराजेश्वरी कौशल माता	अवन्ति चौक, रायपुर, जिला रायपुर
4.	सदस्य	राजमहंत श्री किशन लाल कुर्रे	ग्राम-मुरकी, पोस्ट दाढ़ी, जिला बेमेतरा
5.	सदस्य	राजमहंत श्री शिव प्रसाद मगरदाह	कबीरधाम (कवर्धा)
6.	सदस्य	राजमहंत श्री दिवानचंद सोनवानी	ग्राम पोस्ट सेन्दरी, जिला बिलासपुर
7.	सदस्य	राजमहंत श्री भुरवाराम अनंत	ग्राम बिना, तखतपुर, जिला बिलासपुर
8.	सदस्य	राजमहंत श्री पीलादास जाटवार	ग्राम पोस्ट हथनी, जिला बिलासपुर
9.	सदस्य	महंत श्री दिलीप	जिला कवर्धा
10.	सदस्य	राजमहंत श्री रामनाथ मनहरे	ग्राम पोस्ट-खरोरा, जिला रायपुर
11.	सदस्य	महंत श्री कल्याण दास	ग्राम पोस्ट पथरिया, जिला बिलासपुर
12.	सदस्य	राजमहंत श्री महेश दास रात्रे	गंडई, जिला राजनांदगांव
13.	सदस्य	सुश्री गौरी	पत्थलगांव, जिला रायगढ़
14.	सदस्य	रामहंत श्री बद्री जांगड़े	जिला कबीरधाम
15.	सदस्य सचिव	कलेक्टर	बलौदाबाजार-भाटापारा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नर्रे, अवर सचिव.

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 10th February 2016

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying JMFC, mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S. No. (1)	Name of the Juvenile Justice Board (2)	Area/Revenue Distt. (3)	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board (4)
1.	Sarguja (Ambikapur)	Sarguja	Ku. Akanksha Bhardwaj, JMFC, Sarguja (Ambikapur)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DINESH SHRIVASTAVA, Secretary.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 1-7/2016/सत्रह/एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का क्र. 57) की धारा 16 क की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा पर्यवेक्षक मण्डल का पुनर्गठन हेतु निम्नानुसार सदस्यों को नामांकित करता है :—

1.	विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी-डॉ. एस. बी. एस. नेताम	—	सदस्य
2.	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग	—	सदस्य
3.	श्रीमती सरोजनी बंजारे, विधायिका डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव	—	सदस्य
4.	श्रीमती सुनिती एस. राठिया विधायिका लैलूंगा, रायगढ़	—	सदस्य
5.	डॉ. श्रीमती रेणु जोगी, विधायिका, कोटा बिलासपुर	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 01-90/2001/10 (भा.व.से.).—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनिल राय, भा.व.से. सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को दिनांक 01-02-2016 से 12-02-2015 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राय, सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3198 को दिनांक 14-01-2016 से 13-07-2016 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 फरवरी, 2016

क्रमांक एफ 21–01 / 2016 / नौ / 55–4.—छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्र. 28 सन् 2002) की धारा 3 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सभी सीटों में तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2016 कहलायेंगे।

(2) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(3) राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।

2. **परिभाषायें.-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,-

(क) "एजेंसी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत एजेंसी;

(ख) "वास्तविक निवासी" से अभिप्रेत है ऐसा आवेदक (अभ्यर्थी) जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र/अधिसूचना/आदेशों के अन्तर्गत परिभाषित अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (परिशिष्ट - एक);

(ग) "श्रेणी" से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित श्रेणी;

(घ) "संवर्ग" से अभिप्रेत है महिला या नि:शक्तजन संवर्ग;

(ड.) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय;

(च) "परिषद" से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद;

(छ) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम;

(ज) "संचालक" से अभिप्रेत है संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(झ) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(ञ) " प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 6 के अंतर्गत आयोजित प्रवेश परीक्षा;

(ट) "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की तिथि में आबंटन स्थल पर ही अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु की गई प्रक्रिया;

(ठ) "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन सेवारत कर्मचारी (नियमित/तदर्थ/संविदा आधार पर) जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी को शासकीय सेवा में 3 वर्ष पूर्ण कर ली हो ;

(ड) "अल्पसंख्यक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है महाविद्यालय या संस्थान, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक घोषित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित हो तथा जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो;

(ढ) "बिना संवर्ग" से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो नियम 2 के खण्ड (घ) में परिभाषित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों ;

(ण) "नि:शक्तजन" से अभिप्रेत है ऐसा नि:शक्तजन जैसा कि "नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का सं. 1) की धारा 2 के उपखंड (न) के अधीन परिभाषित हो तथा जो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हो (नि:शक्तता हेतु प्रमाणीकरण - **परिशिष्ट -दो**) ;

(त) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(थ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,छत्तीसगढ़।

3. पात्रता.- केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो -

(क) भारत का नागरिक हो;

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (सेवारत अभ्यर्थी को छोड़कर)

(ग) जिसने परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् परीक्षा वर्ष की 31 मार्च को या उसके पूर्व इंटर्नशिप पूर्ण कर लिया हो;

(घ) जिसने एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के घोषित परिणाम में, अनारक्षित श्रेणी के लिये न्यूनतम 50% अंक, आरक्षित श्रेणी के लिये न्यूनतम 40% अंक तथा अनारक्षित श्रेणी के शारीरिक रूप से नि:शक्त संवर्ग के लिये 45% अंक प्राप्त किये हों तथा न्यूनतम अर्हकारी अंकों में किसी भी प्रकार की शिथिलता / पूर्णन (rounding off) किया जाना, स्वीकार्य नहीं होंगे।

4. अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान.- अल्पसंख्यक संस्थान, अपनी संस्थान में प्रवेश हेतु अतिरिक्त अन्य अर्हतायें भी निर्धारित कर सकेंगे किंतु उन्हें इस अतिरिक्त अर्हता के मापदण्ड के

संबंध में, परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी के पूर्व संचालक, चिकित्सा शिक्षा को लिखित में सूचना देनी होगी जिससे कि उन्हें प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित किया जा सके।

5. सीटों का आरक्षण.- (1) प्रत्येक संस्थान में अनुसूचित जनजाति के लिये 32%, अनुसूचित जाति के लिये 12% तथा अन्य पिछड़े वर्ग (गैरक्रीमीलेयर) के लिये 14% आरक्षण रहेगा।

(2) महिला सवर्ग हेतु 30% तथा नि:शक्तजन संवर्ग हेतु 6% क्षैतिज आरक्षण होगा ।

(क) सबसे पहले सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगो की स्थायी लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, इस प्रकार नहीं भरे गये सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की निचले अंगों की स्थायी लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा ;

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) के प्रतिमानकों के अनुसार निम्नलिखित अशक्ततायें/ प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थी, पात्र नहीं होंगे, अर्थात:-

(एक) ऊपरी अंग नि:शक्तजन ;
(दो) दृष्टिबाधित नि:शक्तजन ;
(तीन) बधिरीय नि:शक्तजन ;
(चार) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता ;
(पांच) पात्रता प्रमाण पत्र जो काउंसिलिंग के समय 3 माह से अधिक पुराना न हो;

(3) उपरोक्त उप-नियम (1) में उल्लेखित आरक्षण के अनुसार सीटों का विषयवार आबंटन लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा जिसकी सूचना संचालनालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

6. चयन प्रक्रिया .- (क) प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन :-

(एक) परीक्षा हेतु एजेंसी द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे ;

(दो) ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी को पात्रता संबंधी मूल दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी ;

(तीन) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किये हुए तथा अपलोडेड मूल दस्तावेज ही प्रभावी होंगे। इसके पश्चात् कोई दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे ;

(चार) ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता संबंधी जानकारी जैसे मूल निवासी, जाति एवं संवर्ग (महिला, नि:शक्तजन) में चयन उपरांत कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(ख) परीक्षा परिणाम :- (एक) लिखित परीक्षा में नियम 3 के खण्ड (घ) के अनुरूप प्राप्तांक में बोनस अंक (सेवांक) को जोड़कर, एजेंसी परीक्षा का परिणाम तैयार करेगी ;

(दो) परीक्षा के अधिकतम 80 अंक होंगे तथा बोनस अंक (सेवांक) के अधिकतम 20 अंक होंगे ;

(तीन) बोनस अंक (सेवांक) की गणना, नियम 7 के अनुसार की जायेगी ;

(चार) एजेंसी, खण्ड (ख) के उप-नियम (एक) के अनुसार तैयार किये गये परिणाम के आधार पर, सभी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार प्रावीण्य सूची और अंक सूची घोषित करेगी जिसमें अंको के अतिरिक्त जन्म तिथि, विकलांगता प्रतिशत और संवर्ग भी दर्शित होंगे। पात्र अभ्यर्थियों की इस प्रकार तैयार की गई प्रावीण्य सूची, एजेंसी द्वारा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित की जायेगी ;

(पांच) प्रावीण्य सूची में नियम 3, नियम 4 एवं नियम 7 के अनुसार पात्र अभ्यर्थी ही सम्मिलित होंगे ;

(छ:) राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों पर, प्रावीण्य सूची के अनुसार तथा नियम 8 में यथा उल्लिखित काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा, अभ्यर्थियों को महाविद्यालयवार एवं संकायवार पाठ्यक्रम का आबंटन किया जायेगा।

7. **बोनस अंक (सेवांक) की गणना.-** संचालनालय चिकित्सा शिक्षा और संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन की गई सेवा के आधार पर, अभ्यर्थी, उनकी श्रेणी में नियम 3 के खण्ड (घ) के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त होने पर ही बोनस अंक (सेवांक) नीचे उल्लिखित रीति में प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे :-

(क) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सक के रूप में प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिये, 2 अंक प्रदान किये जायेंगे;

(ख) **परिशिष्ट - तीन** में सम्मिलित अनुसूचित क्षेत्रों में चिकित्सक के रूप में प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिये, 5 अंक प्रदान किये जायेंगे;

(ग) उपरोक्त उल्लिखित से भिन्न क्षेत्रों में चिकित्सक के रूप में प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिये, 3 अंक प्रदान किये जायेंगे;

(घ) बोनस अंक (सेवांक) की गणना हेतु परीक्षा वर्ष की 31 जनवरी तक पूर्ण की गई सेवा अवधि ही मान्य होगी।

(ड.) अपूर्ण सेवा वर्ष के लिये कोई भी बोनस अंक (सेवांक) प्रदान नहीं किये जायेंगे ;

(च) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन की गई सेवा के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन की गई सेवा के लिए संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र, बोनस अंक (सेवांक) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक है;

(छ) सेवा का प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर एजेंसी द्वारा बोनस अंक (सेवांक) की प्रदान की जायेगी (सेवा प्रमाण पत्र का प्रारूप - परिशिष्ट-चार) ;

(ज) बोनस अंक (सेवांक) हेतु वर्तमान में सेवारत अभ्यर्थियों के अतिरिक्त वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में भी सेवा दी है उनके सेवा को भी आधार मानकर गणना की जायेगी।

8. काउंसिलिंग प्रक्रिया.- (1) राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों की विषयवार विस्तृत जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट में प्रकाशित की जायेगी तथा ऐसे विषयों को भी प्रदर्शित किया जायेगा जो कि केवल अखिल भारतीय कोटे में ही उपलब्ध हैं तथा अभ्यर्थी सीटों के चयन में राज्य कोटे तथा अखिल भारतीय कोटे में उपलब्ध विषयों का समावेश विषय चयन में कर सकेंगे।

(2) इन सीटों में प्रवेश के लिये, प्रावीण्य सूची के आधार पर संचालनालय द्वारा निम्नलिखित रीति में ऑनलाइन काउंसिलिंग की जायेगी :-

(क) उपरोक्त उल्लेखित अनुसार प्रावीण्य सूची घोषित होने के बाद, संचालनालय द्वारा तीन चरणों में काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय सारणी संचालनालय की वेबसाइट पर प्रकाशित (घोषित) की जायेगी, समस्त चरणों की काउंसिलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जायेगी;

(ख) ऑनलाइन काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आबंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा व आबंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र भरने के अंतिम तिथि या पूर्व के जारी किये गये प्रमाण पत्र ही संवीक्षा में मान्य किये जायेंगे ;

(ग) ऑन लाइन पंजीयन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के समय उपलब्ध होगी। काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के समय ही पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ;

(घ) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय सारणी के अनुरूप, अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी उपलब्ध समस्त महाविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों का विकल्प प्राथमिकता अनुसार देने हेतु समर्थ होंगे ;

(ङ) एक बार प्राथमिकता निर्धारण पश्चात् उनके प्राथमिकता क्रम में, परिवर्तन नहीं किया जायेगा, परंतु घोषित सीटों के अतिरिक्त अन्य नई विषय की सीटें, जो पूर्व में प्रदर्शित नहीं हुई हो, के लिये विकल्प भरने पर मान्य की जायेगी ;

(च) प्राथमिकता क्रम में विकल्प भरने की अंतिम तिथि तक जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प नहीं भरा है वे काउंसिलिंग हेतु स्वमेव अपात्र हो जायेंगे ;

(छ) अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी हेतु रू. 1000 /- तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हेतु रू. 500 /- का नकद या डिमांड ड्राफ्ट संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ0ग0 के नाम से संवीक्षा शुल्क देय होगा। आबंटन होने के पूर्व अभ्यर्थियों को संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को दस्तावेजों की संवीक्षा हेतु उपलब्ध सीटों से तीन गुना अभ्यर्थियों को संचालक द्वारा संवीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। उक्त संख्या में

संचालक द्वारा आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। संवीक्षा में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को आबंटन दिया जायेगा।

(ज) आबंटित संस्था में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के समय आगामी चरणों की काउंसिलिंग में बने रहकर अपग्रेड प्राप्त करने हेतु योग्य रहेंगे;

(झ) संवीक्षा में अर्ह होने पर प्रावीण्य सूची के अनुसार संकाय एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा तथा आबंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश लेना आवश्यक होगा तत्पश्चात् ही आगामी चरणों की काउंसलिंग में बने रहेंगे तथा प्रावीण्यता अनुसार अपग्रेड प्राप्त करने हेतु योग्य रहेंगे ;

(ञ) सभी अभ्यर्थी किसी भी समय काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर जाने का विकल्प दे सकते हैं किन्तु वे पुन: काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ;

(ट) वे अभ्यर्थी जिन्हें आबंटन प्राप्त होता हैं उन्हें वेबसाइट से आबंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आबंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी; संस्था में प्रवेश नहीं लिये जाने पर वे आगामी चरणों हेतु अपात्र हो जायेगें ;

(ठ) (एक) अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने के पश्चात महाविद्यालय के द्वारा, चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा ;

(दो) चिकित्सकीय परीक्षण में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा;

(तीन) यदि वे उल्लेखित उपरोक्त प्रक्रिया में विफल हो जाते हैं तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये, प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे;

(चार) समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा, आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा;

(पांच) अंतिम तिथि (माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार) के पूर्व सीट परित्याग करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शुल्क में से 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी और शेष राशि अभ्यर्थी को वापसी योग्य होगी ;

(छ:) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा।

(ड) सीट आबंटन उपरांत प्रवेशित अभ्यर्थी ही, तथा पूर्व में जिन्हें आबंटन प्राप्त नहीं हो सका है किन्तु ऑनलाईन पंजीयन में पंजीकृत है उन्हें प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं हाविद्यालय का द्वितीय तथा तृतीय चरण में आबंटन किया जायेगा। नए अभ्यर्थियों का पंजीयन इस प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।

(ढ) तृतीय / अंतिम चरण की काउंसिलिंग पश्चात किसी भी कारण से रिक्त रह गई सीटों को "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" से भरा जायेगा, जिसमें रिक्त रह गई सीटों पर पूर्व से प्रवेशित अभ्यर्थियों से उन्नयन (Upgrade) करने के पश्चात शेष सीटों को पूर्व में बिना आबंटन

प्राप्त पंजीकृत अप्रवेशित पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। इसके पश्चात भी यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो उन सीटों हेतु अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।

9. **प्रवेश विवरणिका के प्रकाशन के पश्चात् राज्य द्वारा प्राप्त सीटों का आबंटन.-** यदि ऐसी सीटें, काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्व प्राप्त हो जाती हैं, तो इनको काउंसिलिंग में सम्मिलित कर लिया जाएगा और उनकी अद्यतन जानकारी को वेब साइट में प्रकाशित की जायेगी।

10. **आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों का अन्य आरक्षित /अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन (अंतरण) .-**
(1) किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, उन सीटों को छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रं.9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा।

(2) यदि आरक्षित श्रेणी में किसी संवर्ग विशेष के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो, रिक्त सीटों को उपरोक्तानुसार उसी संवर्ग की अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) किसी संवर्ग में, उस संवर्ग के, पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में मूल श्रेणी के "बिना संवर्ग" में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(4) संवर्ग / श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया में संवर्ग परिवर्तन पहले होगा फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।

11. **शासकीय नियतांश की सीटों का प्रबंधन नियतांश सीटों में परिवर्तन.-** प्रावीण्य सूची के समाप्त होने पर यदि निजी महाविद्यालय की शासकीय नियतांश की सीटें, रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें काउंसलिंग के अंतिम चरण के पूर्ण होने के पश्चात्, प्रबंधन नियतांश की सीटों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

12. **छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत सेवा की अनिवार्यता व पाठ्यक्रम के मध्य में सीट का परित्याग करने पर क्षतिपूर्ति .-** (1) एम.डी./एम.एस. / डिप्लोमा सीटों के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, दो वर्षों की कालावधि तक छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्य करेगा। इस हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों को रू. 50 लाख एवं आरक्षित अभ्यर्थियों को रू. 40 लाख का बंध पत्र निष्पादित करना होगा। (**बंध पत्र का प्रारूप परिशिष्ट पांच क एवं पांच ख**)

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत पाठ्यक्रम से त्यागपत्र देने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना सीट पाठ्यक्रम के मध्य में परित्याग करने या परिषद द्वारा निर्धारित अनधिकृत अवधि तक अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी निर्धारित बंधपत्र अनुसार क्षतिपूर्ति देने हेतु दायी होगा। **(बंधपत्र का प्रारूप परिशिष्ट - पांच क एवं पांच ख)।**

13. **प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त रिक्त रह गई डिग्री सीटों में डिप्लोमा में प्रवेशित अभ्यर्थियों का अंतरण.-** राज्य कोटे के ऐसे अभ्यर्थी, जो पूर्व से ही डिप्लोमा कोर्स (दो-वर्षीय पाठयक्रम) में प्रवेशित हैं और अध्ययनरत हैं, को उसी विषय में डिप्लोमा से तीन वर्षीय डिग्री पाठयक्रम में मेरिट के आधार पर

परिवर्तन हेतु (उसी वर्ष के स्नातकोत्तर पूर्व परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर) उन रिक्त सीटों पर जो उस शैक्षणिक सत्र के काउंसिलिंग की अंतिम तिथि के बाद तथा प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर के पूर्व रिक्त हुए है, शासन द्वारा विचार किया जा सकता है :

परन्तु यह कि यदि राज्य कोटे सीट में अभ्यर्थी, उपलब्ध न हो तो अखिल भारतीय कोटे से अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार किया जायेगा :

परंतु यह और यदि अखिल भारतीय कोटे के ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो डिप्लोमा पाठयक्रम में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी को ऐसी सीट पर प्रवेश देने हेतु विचार किया जा सकेगा।

14. प्रवेश रद्द करना.- यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी महाविद्यालय में मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत कर या गलत जानकारी देकर प्रवेश लिया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी को किसी गलती (चूक) से प्रवेश मिल गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश, संस्थान प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश प्रक्रिया में उद्भूत किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में, संचालक, चिकित्सा शिक्षा का निर्णय, सभी पर बंधनकारी होगा। प्रवेश रद्द होने की स्थिति में नियम 12 में विहित प्रावधान लागू होंगे।

15. कठिनाइयों का निराकरण.- यदि इन नियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो तो राज्य शासन आदेश द्वारा, जो नियमों के प्रावधानों से असंगत न हो, कठिनाईयॉं दूर कर सकेगी।

16. प्रावीण्य सूची की समाप्ति.- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रवेश वर्ष की 30 जून या उस शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि को प्रावीण्यता सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीटें व्यपगत हो जायेगी।

17. निरसन एवं व्यावृत्ति.- छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2015 एतदद्वारा, निरसित किये जाते है :

परंतु यह कि इस प्रकार निरसित उक्त नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट- एक

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

क्रमांक .... दिनांक...

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/सुश्री...आत्मज/आत्मजा/पत्नी..
.............................निवासी...तहसील.................................
.... जिला ....छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि : वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।
2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालकों में से कोई भी –

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख)केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,

4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है।

उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :

5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है।

6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात:-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडीएट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा।

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ के वास्तविक निवासी होंगे:

(क) छत्तीसगढ राज्य में नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ शासन के अधिकारियों / कर्मचारियों की पत्नी / पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) छत्तीसगढ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

ऐसे बाबत् जो उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

परिशिष्ट - दो

प्रारूप

राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़
फोन नं.-0771-2234451, फैक्स नं. 0771-2222212
E-mail-cgdme@rediffmail.com

क्रमांक/ /संचिशि/प्रशा.अधि./2015 रायपुर, दिनांक

प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ...., पिता- श्री ...., उम्र-.................वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक................के साथ संलग्न जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र क्रमांक................, दिनांक.....................के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण परीक्षण उपरांत उनकी स्थायी शारीरिक नि:शक्तता ....पाई गई। उनकी कुल नि:शक्तता ....प्रतिशत है।

पहचान का निशान- ....

(अध्यक्ष) राज्य मेडिकल बोर्ड	(सदस्य) राज्य मेडिकल बोर्ड	(सदस्य) राज्य मेडिकल बोर्ड

परिशिष्ट- तीन

आदेश, 2003 दिनांक 20 फरवरी 2003 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्यप्रदेश राज्य) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सूची

1. सरगुजा जिला (संपूर्ण)।
2. कोरिया जिला (संपूर्ण)।
3. बस्तर जिला (संपूर्ण)।
4. दंतेवाड़ा जिला (संपूर्ण)।
5. कांकेर जिला (संपूर्ण)।
6. कोरबा जिला (संपूर्ण)।
7. जशपुर जिला (संपूर्ण)।
8. बिलासपुर जिले में मरवाही, गौरेला-1, गौरेला-2 आदिवासी विकासखंड और कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले की बालोद तहसील का डोण्डी आदिवासी विकासखंड।
10. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकासखंड।
11. रायपुर जिले के गरियाबंद, मैनपुर एवं छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले का सिहावा (नगरी) आदिवासी विकासखंड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, और खरसिया जनजाति विकासखंड।

परिशिष्ट- चार (क)

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण-पत्र का प्रारूप "क"

अद्यतन पासपोर्ट साइज का संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

सेवा प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ --------------पिता/पति---------------------ने दिनांक------------------------से दिनांक----------------------की अवधि में कुल ------वर्ष------माह तक चिकित्सक/शिक्षक के रूप में इस संचालनालय के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय------------- में निर्बाध सेवा प्रदान की है।

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को कुल _____अंको के(शब्दों में)____________________ सेवांक की पात्रता है।

संचालक
चिकित्सा शिक्षा

परिशिष्ट- चार (ख)

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण-पत्र का प्ररूप"ख"

अद्यतन पासपोर्ट साइज का संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सेवा प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ -----------------------पिता/पति--------------------ने दिनांक---------------------से दिनांक----------------------की अवधि में कुल ------वर्ष------माह तक चिकित्सक के रूप में इस संचालनालय के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न क्षेत्रों में निर्बाध सेवा प्रदान की है।

(क) ---------------------------विकासखंड----------------जिला (अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र)------वर्ष----माह

(ख) ---------------------------विकासखंड----------------जिला (अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र)------वर्ष----माह

(ग) ---------------------------विकासखंड----------------जिला (अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र)------वर्ष----माह

(घ) ---------------------------विकासखंड----------------जिला (अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र)------वर्ष----माह

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को कुल _____अंको के (शब्दों में)____________________ सेवांक की पात्रता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें

परिशिष्ट- पांच (क)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(राज्य कोटे से छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र का प्रारूप)

1. मैं...................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... निवासी .... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमडी/एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।
2. यह कि मुझे वर्ष 2015 में आयोजित "प्रीपीजी"2015 प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय..............................में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में .... सीट आबंटित की गई है।
3. यह कि वर्ष 2015-16 की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक....................रायपुर दिनांक .... छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/ एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भाँति समझ लिया है। इस नियम के नियम 12 जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धपत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियां दी गई हैं, जिसे मैंने भली भाँति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।
4. मैं एतद्द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमडी/ एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।
5. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी.................................की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपये ....शब्दों में (रूपए.................................... ......) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।
6. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।
7. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा।

8. एमडी/एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

9. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

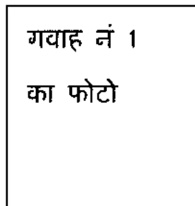
गवाह:-

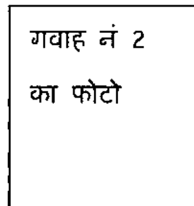
1................................हस्ताक्षर

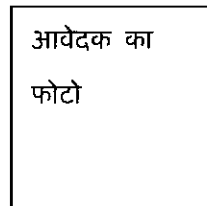
हस्ताक्षर

2................................ हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता







<u>प्रतिभूतिकर्ता</u>

मैं................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..निवासी ....उपरोक्तानुसार बन्धपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्धपत्र के उल्लंघन की दशा में बन्धपत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

परिशिष्ट- पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्युडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मैं.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.............................. निवासी........................... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-35/2014/नौ/55: "छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2016 " को भली भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं।

3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :-

(क) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत मेरे द्वारा प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिया जाता है तो **रू. 25 लाख (पच्चीस लाख रू.)** तथा दो / तीन वर्षो तक प्रदाय किये जाने वाले **स्टायपण्ड की राशि** (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

(ख) मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान यदि मुझ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो भी उपरोक्त कंडिका में वर्णित राशि शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

(ग) उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय प्रशासन में जमा किये गए मूल प्रमाण पत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेंगे।

(घ) यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

आवेदक का फोटो	गवाह नं 1 का फोटो	गवाह नं 2 का फोटो

गवाह:-

1.................................हस्ताक्षर

2................................. हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

प्रतिभूतिकर्ता

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... उपरोक्तानुसार बन्धपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्धपत्र के उल्लंघन की दशा में बन्धपत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

नया रायपुर दिनांक 11 फरवरी, 2016

क्रमांक एफ 21—01/2016/नौ/55—4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11—02—2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 11th February, 2016

No. F 21-01/2016/IX/55-4.-In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 4 of the Chhattisgarh Chikitsha Mahavidyalayon Ke Snatkottar Pathyakrmon Main Pravesh Adhiniyam, 2002 (No. 28 of 2002), the State Government, hereby, makes the following rules for admission to the Postgraduate Courses in all the seats of Government Medical Colleges and Government quota seats of Private Medical Colleges of Chhattisgarh, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Chikitsa Snatkottar Pravesh Niyam, 2016.

   (2) They shall come into force with immediate effect.

   (3) Admissions in Postgraduate course seats in State quota of Government Medical Colleges and Government quota seats of private Medical Colleges of the State shall be made on the basis of these rules.

2. **Definitions**.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) **"Agency"** means an agency authorized by the Government of Chhattisgarh to conduct the entrance examination;

   (b) **"Bonafide Resident"** means any applicant who is a bonafide resident of the State of Chhattisgarh, as defined under circulars/notifications/orders issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time; **(Annexure-I)**

(c) **"Category"** means Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes (Non-creamy-layer) and Unreserved category;

(d) **"Class"** means Women or persons with disabilities class;

(e) **"College"** means the Government or Private Medical College situated in the State of Chhattisgarh;

(f) **"Council"** means the Medical Council of India;

(g) **"Course"** means a Post Graduate Degree or Diploma Course;

(h) **"Director"** means Director, Medical Education, Government of Chhattisgarh;

(i) **"Directorate"** means Directorate of Medical Education, Government of Chhattisgarh;

(j) **"Entrance Examination"** means the Entrance Examination held under rule 6 of these rules;

(k) **"Final Admission Process"** means process for spot admission of candidates in the allotment site on the vacancy remaining after the final round of counseling on or before the last date of admission as specified by the Hon'ble Supreme Court;

(l) **"In-Service Candidate"** means an employee serving under the Directorate of Medical Education and Directorate of Health Services (on regular/adhoc/contractual basis), who have completed 3 years of Government service as on 31st day of January of Examination Year;

(m) **"Minority Institutions"** means a college or institution established by person or group of persons declared religious or linguistic minority under clause (1) of Article 30 of the Constitution of India and are recognized under Acts/rules notified by the Government of Chhattisgarh;

(n) **"No Class"** means a candidate who does not fall under any class defined in clause (d) of Rule 2;

(o) **"Persons with disability"** means Persons with disability as defined under sub-clause (t) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (No.1 of 1996) and is eligible for admission in Post Graduate Degree/Diploma courses as per the criteria laid down by the Medical Council of India; (Certification of disability - **Annexure II**);

(p) **"State Government"** means the Government of Chhattisgarh;

(q) **"University"** means the Ayush and Health Science University, Chhattisgarh.

3. Eligibility.- Only a candidate, who is-

(a) an Indian Citizen;

(b) a bonafide resident of Chhattisgarh (excluding In-service candidate);

(c) completed internship on or before 31st day of march of examination year after passing Graduate Medical Examination recognized by the Council; and

(d) secured at least 50% marks for Unreserved category, 40% marks for reserved category and 45% marks for physically disabled class of Unreserved category in result declared by agency and no relaxation/rounding off will be permitted in the calculation of minimum qualifying marks;

shall be eligible for admission.

4. Special Provisions for Minority Institutions.- Minority Institutions may impose additional eligibility criteria for admissions to their institutions, but regarding these additional eligibility criteria they shall have to inform the Director, Medical Education in writing

before 31st day of January of Examination year so that it can be included in prospectus.

5. Reservation of Seats.- (1)There shall be 32% reservation for Scheduled Tribes, 12% reservation for Scheduled Castes and 14% reservation for candidates of Other Backward Classes (Non-creamy Layer) in each Institution.

(2) There shall be horizontal reservation of 30% for Women and 6% for Persons with disability.

(a) Initially seats shall be filled by the candidates with permanent locomotor disability of lower limbs between 50% to 70% and in cases of non-availability of such candidates then the remaining seats shall be filled up with candidates having permanent locomotor disability with lower limbs between 40% to 50%.

(b) Candidates having the following disabilities/certificate shall not be eligible as per the norms of the Medical Council of India, namely:-

(i) Upper limb handicapped;

(ii) Visual handicapped;

(iii) Hearing handicapped;

(iv) Lower limb more than 70% handicapped; and

(v) Producing Disability Certificate which is more than 3 months old at the time of counseling.

(3) As per the reservations mentioned in sub-rule (1) above, subject wise allocation of the seats shall be done by lottery method which shall be published on the Directorate web-site.

6. Selection Process.- (A) **Application for Entrance Test**:-

(i) Online applications shall be invited by the examination agency as per the scheduled dates.

(ii) Scanned copies of the original documents pertaining to their eligibility shall have to be uploaded on the portal at the time of submission of on-line application.

(iii) Only the documents issued and uploaded before the last date of on-line application shall be effective. Following which no documents will be accepted.

(iv) No change in information related to eligibility like Domicile, Caste and class (Female, Persons with disability) certificate submitted at the time of on-line application shall be permitted after selection.

(B) **Result**:- (i) Agency shall prepare the result after adding bonus marks to the marks obtained in the Entrance Examination as per clause (d) of rule 3 of this rule.

(ii) Examination shall be of maximum 80 marks and bonus of maximum 20 marks.

(iii) The calculation of bonus marks shall be done as per rule 7.

(iv) Based on the result prepared as per sub-clause (i) of clause (B), the Agency will declare category-wise merit list and mark sheet of all the candidates, which shall also contain date of birth, disability percentage and class. A merit list thus prepared of the eligible candidates shall be sent to the Directorate of Medical Education by the agency.

(v) Only candidates eligible as per rule 3, rule 4 and rule 7 will be included in the merit list.

(vi) As per the merit list and through the counseling process as specified in the rule 8 College-wise and Branch-wise allotment of eligible candidates will be done on the seats available in state quota.

7. Calculation of Bonus Marks.- Based on the service rendered under the Directorate of Medical Education and Directorate of Health Services, a candidate will be eligible to get bonus marks only upon securing minimum qualifying marks in their respective category as per clause (d) of rule 3 as described under:-

(a) For each completed year of service as doctor in the Government Medical Colleges, 2 marks will be awarded;

(b) For each completed year of service as doctor in Scheduled Areas included in **Annexure-III**, 5 marks will be awarded;

(c) For each completed year of service as doctor in areas other than those mentioned above, 3 marks will be awarded;

(d) For calculation of bonus marks only the service period till 31st day of January of examination year shall be considered;

(e) No bonus marks shall be awarded for incomplete service years;

(f) For services rendered under the Directorate of Medical Education, the service certificate issued by the Director Medical Education and for services rendered under the Directorate of Health Services, the service certificate issued by the Director Health Services is necessary for availing benefit of bonus marks;

(g) The service certificate shall have to be submitted along with the application form, based on which the bonus marks shall be awarded by the agency. (Proforma of service certificate- **Annexure IV**);

(h) For calculation of bonus marks, in addition to candidates presently serving, services of all the candidates who have rendered services in the past shall also be the basis of calculation.

8. Counseling Process.- (1) Branch-wise details of the seats available under the state quota will be published on the website of Directorate of Medical Education and also those seats which are available only under the All-India quota will also be displayed on the website and

the candidates shall for the selection of seat utilize the branches included under the State and All-India quota.

(2) For admission in these seats, online counseling shall be done by the Directorate on the basis of merit list in the following manner, namely : -

(a) The director shall conduct counseling in three rounds and shall declare the counseling schedule on the directorate's website after the declaration of merit list as mentioned above. The entire rounds of counseling process shall be conducted through on-line process;

(b) On-line counseling process shall include registration for On-line counseling, determination of preference list, allotment, scrutiny of original documents and admission process in the allotted seats. Only the documents and certificates issued before the last date of application for the entrance examination or prior to it shall be accepted for scrutiny.

(c) On-line registration process will be available only at the time of first counseling. All the candidates interested in participating in the counseling process shall have to get themselves essentially registered at the time of first counseling.

(d) As per the schedule displayed on the website, the candidates shall be required to fill and submit their choices. The candidates shall be permitted to fill in all the options of all the colleges and courses available to them in their preference list.

(e) Subsequent to the submission of preference list, no changes shall be permitted in the preference list but if additional seats are permitted apart from those declared and displayed earlier, choice filling for these seats shall be permitted.

(f) Candidates failing to fill their preference list shall automatically be deemed unfit for the counseling process.

(g) A demand draft of Rs. 1000/- for unreserved and Other Backward Classes candidates and 500/- for Scheduled Tribes and Scheduled castes category issued in favour of Director Medical Education, Chhattisgarh shall be required as counseling fee. The candidates shall be required to be present on the specified dates for the scrutiny of their original documents prior to the allotment. The Director shall invite candidates equal to three times the number of available seats for scrutiny. The above mentioned quantity may increase as per the requirement. Allotment shall be done to a candidate only upon being deemed eligible in the scrutiny.

(h) The candidates taking admission in the allotted institution will have the option of upgradation in the subsequent rounds of counseling while remaining in the counseling process.

(i) Allotment of branch and college shall be done in order of the merit list upon deemed fit in the scrutiny, the same shall be displayed on the website of the Directorate and it shall be mandatory for the candidates who are allotted seats to take admission only then they will be eligible to remain in the subsequent round of counseling and for upgradation as per their merit.

(j) All candidates shall at any time exercise the option of moving out of the counseling process but shall then cease to participate in the counseling process again.

(k) Those candidates getting allotment shall take a printout of the allotment letter from the website and as per the declared schedule shall have to complete their admission process in the allotted college; in case of non-admission in the institution, they shall be deemed ineligible for the subsequent rounds.

(l)(i) Upon reporting by the candidate, the College shall get the Medical examination done;

(ii) On being fit in the medical examination, admission shall be granted to the candidate;

(iii) If they fail in the said process, they shall be deemed unfit for admission in the current academic session;

(iv) All formalities shall be required completed, required fee shall have to be deposited before the stipulated date for taking admission in the allotted college;

(v) In case a candidate surrenders the seat before the last date (as per the schedule prescribe by the Hon'ble apex court) an amount equivalent to 20 percent of the fee deposited shall be deducted and the remaining amount shall be refunded to the candidate; and

(vi) The candidate shall have to deposit all the original documents in the college at the time of admission.

(m) After allotment of seats admitted candidates, and who are registered in the on-line registration but have not been allotted earlier shall be allotted courses and College in the second and third round on the basis of merit list. New candidates shall not be registered for this purpose.

(n) Seats remaining vacant for any reason after third / final round of counseling shall be filled by "Final Admission Process", which shall be filled firstly by upgradation of prior admitted candidates and then remaining seats shall be filled by the non-allotted registered non-admitted eligible candidates. Even after this if the seats remain vacant then the final decision for the said seats shall be taken at State level.

9. **Allotment of seats obtained by the State after publication of prospectus.-** If such seats are obtained before the initiation of counseling process, then these shall be included in counseling and their updated detail shall be published in website.

10. Conversion of unutilized seats of reserved category to other reserved/unreserved categories.- (1) In case of non-availability of reserved category candidates for any remaining reserved quota seats, the seats shall be converted as per provisions of the Chhattisgarh Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2012 (No.9 of 2012).

(2) If eligible candidate of a particular class in reserved category is not available then vacant seats shall be converted to other categories of the same class as above.

(3) In case of non-availability of eligible candidates in that class, the seats shall be converted to "No Class" of original category.

(4) In the process of conversion of class/category, class conversion shall precede category conversion.

11. Conversion of seats of Government quota to management quota.- If after exhaustion of merit list, the Government quota seats of Private Colleges remain vacant then they shall be converted to management quota seats after completion of last round of counseling.

12. Essentiality of service under the Government of Chhattisgarh and compensation on abandonment of seat during midsession.- (1) It would be compulsory for candidates taking admission in M.D./M.S./Diploma seats to serve under the Government of Chhattisgarh after successful completion of post graduate course for a period of two years. The unreserved candidates shall have to furnish a bond of Rs. 50 lakh and reserved candidates shall have to furnish a bond of Rs. 40 lakhs for the same. (**Proforma of Bond -Annexure- VA and VB**)

(2) As per direction of Hon'ble Supreme Court, in case of resigning from course after the prescribed last date of admission or abandonment of seat in mid of course before completion of the course or remaining absent for unauthorized period prescribed by the Counsel, then the candidate shall be liable to pay compensation as per prescribed bond. (Format of Bond-Annexure-5)

13. Conversion of vacant diploma seats into degree seats after the last date of admission.- Such candidates of state quota, who are admitted in and pursuing Diploma courses (two years course) may be considered by the Government for conversion on merit basis into three year Degree seats of the same branch on such seats which remained vacant after the last date of counseling of the said session and vacant before 31st of December of admission year, these conversions shall be done as per the reservation rules:

Provided that, if candidates in the state quota seats are not available then candidates admitted through All-India quota shall be considered:

Provided further that, in case such All-India quota students are also not available, then candidates pursuing second year in the Diploma course may be considered for admission on such seat.

14. Cancellation of admission.- If it is found that the candidate has taken admission in any college by producing forged document or incorrect information or it is found at any level after the admission that the candidate has gained admission by any mistake, then the admission of such candidate can be cancelled by the Head of the institution during the course without any prior notice. For any controversy or doubt arising out of admission process, the decision of Director, Medical Education shall be binding to all. Provision prescribed in rule 12 shall be applicable in case of cancellation of admission.

15. Resolution of difficulties.-If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of these rules, remove the difficulty.

16. Expiry of merit list.- As per the directions of the Hon'ble Supreme Court, the Merit list shall expire on 30th day of June of the admission year or any other date prescribed by the Hon'ble Supreme Court for admission for that academic session and vacant seats shall deemed to be lapsed.

17. Repeal and saving. - The Chhattisgarh Chikitsa Snatkottar Pravesh Niyam, 2015 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under said rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. K. Verma, Joint Secretary.

Annexure -I

Proforma for Bonafide Resident of Chhattisgarh

No. .... **Dated : ....**

Certified that Mr./Ms. ....
S/o,W/o...........................Address...
Tahsil.. District...
is a bonafide resident of Chhattisgarh because:

He/she fulfills any one of the following condition:

1. The person is born in Chhattisgarh.
2. (a) the person;

   OR

   (b) any of his parents;

   OR

   (c) if none of his parents are alive, his legal guardian has a continuous stay at Chhattisgarh for at least 15 years.
3. Any of his parents:

   (a) is a State Government's employee whether in service or retired;

   OR

   (b) is a Central Government servant working at Chhattisgarh.
4. (a) The person;

   OR

   (b) His parent is in possession of any immovable property, industry or business in the State for the last five years.

Besides the fulfillment of the above conditions the person shall also fulfill at least one condition given below:

5. The person has obtained education from any educational institute of Chhattisgarh or any educational institutes in Districts of undivided Madhya Pradesh, which are presently included in the State of Chhattisgarh for at least 3 years.

6. The person has passed the following examinations from any of the educational Institute of Chhattisgarh, i.e.
   (a) Higher Secondary examination or Class Eight examination, if the minimum educational qualification required for obtaining admission in any institute or for service in any Government organization, is either graduation or higher degree from any of the recognized universities.
   (b) Class Eight examination, if the minimum educational qualification required for obtaining admission in any institute or for service in any Government organization, is either Intermediate Higher Secondary from any of the university or board or equivalent examination.
   (c) In any other case, Class fifth examination.

7. For all other cases, than those mentioned above, any person of the following categories will be bonafide resident of State of Chhattisgarh.
   (a) The spouse or children of Indian Civil Services Officers appointed in the State of Chhattisgarh.
   (b) The spouse or children of officers/employees of Government of Chhattisgarh.
   (c) The spouse or children of the persons holding constitutional or statuary posts appointed by the President of India in the State of Chhattisgarh.
   (d) The spouse or children of designated officers / officers / employees employed in any institute or corporation or board or commission established in the State of Chhattisgarh.

   The spouse or the children of the person who is a bonafide resident of Chhattisgarh in accordance with the above parameters will also be considered as bonafide residents of Chhattisgarh.

Authorized Signatory
Name & Designation

Annexure-II

Proforma

State Medical Board Certificate

Chhattisgarh State Medical Board

Directorate of Medical Education, Chhattisgarh

Ph.- 0771-2234451, Fax No.-0771-2222212

E-mail: cgdme@reddiffmail.com

No./ /DME/A.O./2015 Raipur, Dated: ....

CERTIFICATE

Two passport size photograph

Certified that Shri .... Son/Daughter of Shri .... age ...... years (attested photograph) application dated .... along with District/ Divisional Medical Board's certificate No. .... date .... upon complete physical examination of the applicant the disability percentage of the applicant is found to be .... percentage.

Identification Marks: ....

(Chairman)
State Medical Board

(Member)
State Medical Board

(Member)
State Medical Board

Annexure -III

List of Scheduled Area of the State of Chhattisgarh as per the Scheduled Areas (States of Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh) Order, 2003, dated 20 February, 2003.

1. Sarguja District (Complete)
2. Koria District (Complete)
3. Bastar District (Complete)
4. Dantewara District (Complete)
5. Kanker District (Complete)
6. Korba District (Complete)
7. Jaspur District (Complete)
8. Marwahi, Gorella-1, Gorella-2 Tribal Development Blocks and Kota Revenue Inspector Circle in Bilaspur District
9. Dondi Tribal Development Block in Durg District.
10. Chauki, Manpur and Mohla Tribal Development Blocks in Rajnandgaon District.
11. Gariaband, Mainpur and Chhura Tribal Development Block in Raipur District.
12. Nagari (Sihawa)Tribal Development Block in Dhamtari District.
13. Dharmjaigarh, Gharghoda, Tamnar, Lailunga and Kharsia Tribal Development Block in Raigarh District.

Annexure-IV

Format "A" of Service Certificate rendered under Chhattisgarh Government

Directorate of Medical Education

Service Certificate

Recent colored passport size photograph duly attested by the Director

This is to certify that Dr. .... Father / Husband .... has served as a Doctor/Medical Teacher from................. to .... (Date) Total ...... year ...... months under this Directorate in Government medical College... .... and has provided uninterrupted services.

As mentioned above the candidate is entitled for a total of .... points as bonus marks (In words) ....

Director

Medical Education

Format "B" of Service Certificate rendered under Chhattisgarh Government

Directorate of Health Services

Recent colored passport size photograph duly attested by the Director

Service Certificate

This is to certify that Dr. .... Father / Husband .... has served from .... to ....(Date) Total...... Year .... Months as a Doctor under this Directorate and has provided uninterrupted service in the following areas-

(a) .... Block .... District (Scheduled Area/ Non-Scheduled Area) ... Year .... Month......

(b) .... Block .... District (Scheduled Area/ Non-Scheduled Area) ... Year .... Month......

(c) .... Block .... District (Scheduled Area/ Non-Scheduled Area) ... Year .... Month......

(d) .... Block .... District (Scheduled Area/ Non-Scheduled Area) ... Year .... Month......

Total .... points to the applicant for service above (in word) .... the bonus is eligible.

Director

Health Services

Annexure -VA

(To be executed on Non-judicial Stamp Paper of Rs. 250/- duly attested by a notary)

(Bond Proforma for candidates admitted in post-graduate courses through state quota for compulsory Government service)

1. I...S/o,D/o,W/o...................... ....Address .... am a candidate admitted in post-graduated course in medical college of Chhattisgarh. I am selected for MD/MS/Diploma course in Unreserved/Reserved category.
2. That I have been allotted .... seat in medical college .... for the academic year 2015-16 through Pre-PG entrance examination head in.................
3. That I have read and understood clearly the admission rules as notified in the Chhattisgarh Gazette no.............................. Raipur, Dated.............published by the Department of Health & Family Welfare, Government of Chhattisgarh for admissions in MD/MS/Diploma courses in Medical Colleges of Chhattisgarh. I have clearly understood Rule 12 of the said rules in which information regarding execution of bond for compulsory Government service and I agree with all points of the said rules.
4. I hereby state that I shall execute a bond after successfully completing my MD/MS/Diploma course for compulsory Government service for a period of 2 years
5. In the event of breach of the bond, Government shall have the right to forfeit the bond amount from my guarantor Shri........................... S/o,D/oW/o .... Resident of .... an amount of Rs..............(In Words)... in cash or from Fixed/Mobile property (Complete details of property) along with the entire amount of the stipend paid to me in cash or in the form of land revenue.
6. Until the recovery of entire amount No-objection certificate will not be granted to me by the Dean.
7. After the issue of No-objection certificate by the Dean I shall submit the same to the Director Medical Education with whose

recommendation the University shall award me the final Degree and based on the final Degree, permanent registration of Post-Graduate qualification shall be granted by the State Medical Council.

8. After notification by the University of successful completion of MD/MS/Diploma course, if Commissioner Health Services does not issue appointment order within a period of six month this bond shall automatically be deemed terminated.
9. I understand that decision of the Government of Chhattisgarh shall be final and abiding in case of any dispute.

Signature
Applicant/Executant

Photograph of witness 1	Photograph of witness 2	Photograph of the Applicant

Witness:

1. .... Signature
2. .... Signature

Guarantor

I .... S/o, D/o, W/o Shri .... Resident of .... undertake as a guarantor for the bond mentioned above and in the event of breach of bond the specified amount shall be recoverable from my fixed/mobile property.

Signature
Applicant/Executant

Annexure-VB

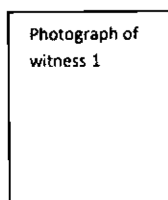
(For all admitted candidates)
(To be executed in Non-Judicial Stamp of Rs. 250/- duly attested by a Notary)

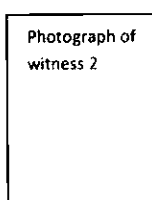
Proforma of affidavit for candidates admitted in Medical College of Chhattisgarh

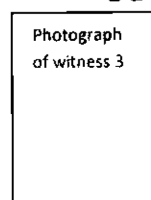
I .... Son/Daughter/Wife of Shri/Smt. .... resident of .... Chhattisgarh, am a candidate admitted in Post Graduate Course in Medical College of Chhattisgarh.

1. I have read and understood clearly the notified Gazette No.- F-35/2014/Nine/55: published by the Department of Health & Family Welfare, Government of Chhattisgarh.
2. I am State/ All-India quota student of ...., category.
3. I herewith undertake the following conditions that:-
   (a) If I resign from the seat in which I am admitted after the last date of admission for the current academic year as decided by Hon'ble Supreme Court of India/ Medical Council of India, an amount of Rs. 25 lakhs (Rupees Twenty Five Lakhs Only) and the entire amount of stipend paid to me for 02/03 Years, will be remitted by me to the State Government.
   (b) I also agree that if I am expelled by college administration from college due to any disciplinary action during my tenure of the course, I shall abide to pay the amount described in the above clause to the Government.
   (c) After payment of the above mentioned amount my original certificates, submitted at the time of admission, shall be returned by the college administration.
   (d) I understand that the decision of the Government of Chhattisgarh will be final and abiding in case of any dispute.

Signature
Applicant/Executants







Witness:

1. .... Signature

2. .... Signature

Guarantor

I .... S/o,D/o,W/o Shri .... Resident of .... undertake as a guarantor for the bond mentioned above and in the event of breach of bond the specified amount shall be recoverable from my fixed/mobile property.

Signature
Applicant/Executants

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक 12/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भौंवाकापा प.ह.नं. 21	2.13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक 13/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	उमरमरा प.ह.नं. 15	35.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक 14/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	भैंसाझार प.ह.नं. 15	20.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक 15/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पेण्ड्री प.ह.नं. 25	39.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर, (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक 15/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	दर्रीकापा प.ह.नं. 19	12.67	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक 16/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	केकती प.ह.नं. 14	30.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्रमांक 17/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बरद्वार प.ह.नं. 12	1.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	गहनाखार प.ह.नं. 47	0.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्रमांक 04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	सिंगबहाल प.ह.नं. 42	1.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना के शाखा नहर चैन क्र. 20.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्रमांक 06/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	चारभांठा प.ह.नं. 42	7.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	घुरऊ जलाशय योजना बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-कुण्डेल, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
582	0.01
583	0.02
584	0.03
585	0.02
588	0.02
590	0.01
609	0.01
589	0.01
593	0.01
594/2	0.01
596	0.02
601	0.02
602	0.02
606	0.03
607	0.02
612/1	0.01
618	0.03
610	0.02
592	0.01

	(1)	(2)
	586	0.02
	587	0.02
	594/1	0.01
योग	23	0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी-कुण्डेल मार्ग के नागदेव नाला के हरदी की ओर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-मारागांव, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.69 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	397	0.29
	398	0.02
	434	0.08
	436	0.12
	438	0.05
	433	0.06
	553	0.03
	554	0.01
	556	0.03
योग	9	0.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मारागांव-काजनसरा-गरियाबंद मार्ग के सोढ़ूर नदी पर मारागांव की ओर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-सरईभदर, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/1	0.04
29	0.110
97	0.20
28	0.11
48	0.06
96	0.03
26	0.16
31	0.03
98	0.13

(1)	(2)
19	0.01
33	0.04
46	0.04
20	0.15
25	0.10
26/3	0.02
46	0.08
49	0.02
26/2	0.04
30	0.03
45/1	0.06
योग 20	1.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरईभदर-जड़जड़ा मार्ग के सोढूर नदी पर सरईभदर की ओर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्रमांक 1772/नग्रानि/15.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि लैलुंगा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी एक-एक प्रति कलेक्टर जिला रायगढ़, कार्यालय नगर पंचायत लैलुंगा (सभाकक्ष भवन) तथा कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ के कार्यालयों में दिनांक 30-12-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, लैलूंगा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

लैलुंगा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भेलवाटोली, खम्हार एवं जामबहार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम जामबहार, रूडूकेला, पकरगांव एवं कुंजेरा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कुंजेरा एवं अंगेकेला की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम अंगेकेला, झरन एवं भेलवाटोली की पश्चिमी सीमा तक.

इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 1772/TCP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Lailunga Planning Area has been prepared under sub-section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 30-12-2015 during office hours in the office of Collector Raigarh, Nagar Panchayat Lailunga (Sabha Kaksh Bhawan) and Deputy Director, Town & Country Planning Raigarh. The limit of the Lailunga Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limites of Lailunga Planning Area

NORTH	:	Village-Bhelwatoli, Khamhar and upto the Northen Limit of Jambahar.
EAST	:	Village-Jambahar, Rudukela, Pakargaon, and upto Eastern Limit of Kunjera.
SOUTH	:	Village-Kunjera and upto the Southern Limit of Angekela.
WEST	:	Village-Angekela, Jharan and upto Western Limit of Bhelwatoli.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Deputy Director Town & Country Planning, Raigarh C. G. or Inspection site within a period of Thirty Days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Dy. Director Town & Country Planning Raigarh.

आर. एन. प्रसाद,
उप-संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्रमांक/1265/न.ग्रा.नि./मालखरौदा/शोध./2015.—एतद्द्वारा, सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालखरौदा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

मालखरौदा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम कलमी, विरभाठा एवं मुक्ता ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम मुक्ता एवं चिखली ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम चिखली, चारपारा एवं बड़े सीपत ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बड़े सीपत, छोटे सीपत एवं कलमी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : जनपद पंचायत सभाकक्ष मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक 2131/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-मनेन्द्रगढ़/2015.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मनेन्द्रगढ़ निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला कोरिया, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बैकुण्ठपुर तथा नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ में दिनांक 06-01-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

मनेन्द्रगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

मनेन्द्रगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम चैनपुर, मनेन्द्रगढ़ एवं चनवारीडांड ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम मनेन्द्रगढ़ एवं चैनपुर ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम चनवारीडांड एवं मनेन्द्रगढ़ की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम चनवारीडांड की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 2131/T&CP/Ambikapur/DP-Manendragarh/2015.—Notice is hereby given that the existing land use map for Manendragarh Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 06-01-2016 during office hours in the offices of the Collector District Korea Office of the Assistant Director Town and Country Planning Baikunthpur and Nagar Palika Parishad Manendragarh District Korea.

The limit of Manendragarh Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Manendragarh Planning Area

NORTH	:	Village-Chainpur, Manendragarh and upto the Northern limit of Chanwaridand.
EAST	:	Village-Manendragarh upto the Eastern limit of Chainpur.
SOUTH	:	Village-Chanwaridand and upto the Southern limit of Manendragarh.
WEST	:	Upto the Western limit of Village Chanwaridand.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Director, Town & Country Planning, Chhattisgarh Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received form any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Director Nagar Tatha Gram Nivesh Raipur Chhattisgarh.

विमल कुमार बगवैया
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्रमांक 339/न.ग्रा.नि./वि.यो.-बेमेतरा.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बेमेतरा बाह्य वृद्धि निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी प्रदर्शनी स्थल नगर पालिका बेमेतरा के सभाकक्ष में दिनांक 19-01-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. बेमेतरा बाह्य वृद्धि निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसुची में अंकित है :—

अनुसूची

बेमेतरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम बहेरा, बैंजी, लालेसरा, ढोलिया, मजगांव एवं ग्राम नवलपुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम नवलपुर, मुड़पार, मोहतरा, पीपरभट्ठा, चोरभट्ठी एवं ग्राम मटका की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम मटका, बीजाभाठा, फरी एवं ग्राम तिलईकुंडा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम तिलईकुंडा, खिलौरा, ओटेबंध, हथमुड़ी, भुरंकी, सिरवाबांधा एवं ग्राम बहेरा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर भेजा जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 339/T&CP/Durg/DP-Bemetara/2015.—Notice is hereby given that the existing land use map for Bemetara Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and an exhibition is organized in the community hall of Nagar Palika Bemetara, is available for inspection from date 19-01-2016 during office hours Nagar Palika Bemetara.

The limit of the Bemetara Planning Area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

Limit of the Bemetara Planning Area

NORTH	:	Village-Bahera, Bainjee, Lolesara, Dholiya, Manjgaon and Village Navalpur upto North Boundary.
EAST	:	Village Navalpur, Mudhpar, Mohtara, Peeparbhatha, Chorbhathi and Village Mataka upto East Boundary.
SOUTH	:	Village-Mataka, Beejabhatha, Faree and Village Tilaikunda upto South Boundary.
WEST	:	Village-Tilaikunda, Khilora, Otebandh, Hathmudi, Bhurankee, Sirvabandha and Village Bahera upto West Boundary.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared in it should be sent in writing to the Joint Director Town & Country Planning Durg Chhattisgarh within a period of Thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Joint Director Town and Country Planning Durg.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्रमांक/443/प्रवाचक/2016.—श्रीमती राखी साव, पार्षद, प्रतापदेव वार्ड क्रमांक-11, नगरपालिक निगम जगदलपुर के द्वारा उनका चयन शासकीय सेवा में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत वार्ड ब्याय के पद पर हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 28-12-2015 को पार्षद के पद से त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है.

2. श्रीमती राखी साव, पार्षद, प्रतापदेव वार्ड क्रमांक-11, नगरपालिक निगम जगदलपुर के द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र का परीक्षण न गरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 23 (2) (3) के परिप्रेक्ष्य में किया गया तथा आयुक्त नगरपालिक निगम जगदलपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. श्रीमती राखी साव, पार्षद के विरुद्ध कोई प्रकरण लंबित नहीं है. उनके द्वारा शासकीय सेवा में पद ग्रहण कर लिया गया है.

3. अतएव नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 23 के अन्तर्गत श्रीमती राखी साव, पार्षद, प्रतापदेव वार्ड क्रमांक-11 नगर पालिक निगम जगदलपुर, जिला बस्तर के द्वारा दिनांक 28-12-2015 को प्रस्तुत त्याग पत्र उक्त दिनांक से स्वीकृत किया जाता है.

दिलीप वासनीकर,
कमिश्नर.